विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए थल सेना, आयुध निर्माणियां, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सैन्य अभियंता सेवाएं तथा सीमा सड़क संगठन से संबंधित रक्षा मंत्रालय की परियोजनाओं/स्कीमों की वित्तीय लेनदेन की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन समीक्षाओं के परिणाम समाविष्ट हैं।

प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं:

विवाहितों के लिए आवास परियोजना महानिदेशालय (एम ए पी) का कार्यचालन

रक्षा सेना कार्मिकों के लिए विवाहितों के आवास की कमी को दूर करने हेतु शीघ्र तथा समयबद्ध तरीके से आवासों का निर्माण करने के लिए एक विशेष संगठन के रूप में विवाहितों के लिए आवास परियोजना महानिदेशालय (डी जी एम ए पी) का गठन किया गया था। निदेशालय की लेखापरीक्षा से पता चला कि 1,98,881 आवास यूनिटों (डी यू), जिनका 2002 से लेकर प्रत्येक चार वर्ष के चार चरणों में निर्माण किया जाना था, उसके लक्ष्य के प्रति मार्च 2016 तक केवल 80,692 डी यू का ही निर्माण किया गया था। स्टेशनों का गलत वरीयता निर्धारण, आवास की कमी का गलत निर्धारण तथा प्राधिकरण से अधिक आवास के निर्माण ने इस कमी के प्रभाव को अधिक तीव्र बनाया।

(पैराग्राफ 2.1)

जेली फिल्ड केबिल की अधिप्राप्ति में हानि

महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डी जी क्यू ए) से परीक्षण के आयोजन, जिनकी सुविधा उनके पास उपलब्ध नहीं है, के संबंध में स्पष्ट निर्देश के अभाव के कारण जेली फिल्ड केबल के मूल्यांकन के पूरा होने में 15 महीने का अत्यधिक विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, विक्रेता द्वारा वाणिज्यिक प्रस्ताव में संशोधन किया गया, जिससे 3000 कि.मी. जेली फिल्ड केबिल की अधिप्राप्ति में सरकार को ₹1.28 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.2)

माइक्रो लाइट वायुयान की अधिप्राप्ति एवं पूर्ण मरम्मत

महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर (डी जी एन सी सी) द्वारा प्रचलित नीति से विचलित होते हुए उपलब्ध माइक्रो लाइट वायुयान के 34 इंजिनों की पूर्ण मरम्मत के लिए, नए इंजनों की लागत के 50 प्रतिशत से ज्यादा कीमत पर संविदा की गई। इसके अलावा,

उपलब्ध बेडे के कम उपयोग के बावजूद ₹52.91 करोड़ की लागत पर 110 अतिरिक्त माइक्रो लाइट वायुयान खरीदे गये।

(पैराग्राफ 2.3)

रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले रेल वैगनों/डिब्बों का प्रबंधन

रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले रेल वैगनों/डिब्बों के प्रबंधन की लेखापरीक्षा में 17 ए सी डिब्बों/सैन्य लंगरों का अधिक स्केलिंग (₹50 करोड़), अग्रिम भुगतान पर ब्याज की हानि (₹23.87 करोड़), सैन्य स्पेशल ट्रेनों के लागत परिकलन में एकरूपता न होने के कारण अधिक भुगतान ₹30.44 करोड़), अतिरिक्त रेल सुविधा (ए आर एफ) परियोजनाओं की निगरानी न करना तथा ए आर एफ परियोजनाओं के कारण रेलवे को दिए गए ₹356 करोड़ का असमायोजन जैसी विभिन्न कमियां देखी गईं। इन कमियों के बावजूद, रेलवे द्वारा रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले इन रेल वैगनों/डिब्बों के वाणिज्यिक उपयोग की जाँच करने के लिए सेना मुख्यालय में कोई तंत्र नहीं है।

(पैराग्राफ 3.1)

थल सेना में गोलाबारूद प्रबंधन- अनुवर्ती लेखापरीक्षा

"इस अनुच्छेद/ प्रतिवेदन की विषय-वस्तु हेतु प्रासंगिक प्रतिवेदन के मुद्रित संस्करण का सन्दर्भ लें"

(पैराग्राफ 3.2)

सैन्य स्टेशन में लगे मोबाइल टावरों के संदर्भ में किराए एवं प्रीमियम की गैर वसूली के कारण हानि

चण्डीमंदिर सैन्य स्टेशन में निजी टेलीफोन कम्पनियों के 13 मोबाइल टावरों को रक्षा मंत्रालय के अपेक्षित अनुमोदन के बिना ही लगा दिया गया, जिससे किराए एवं प्रीमियम की गैर वसूली के कारण ₹4.33 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.4)

बेमेल उपकरण की अधिप्राप्ति पर व्यर्थ व्यय

सेना कमांडर को प्राप्त विशिष्ट वित्तीय शक्तियों के उपयोग से उत्तरी कमान में तत्कालिक आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए ₹1.26 करोड़ की लागत पर अधिप्राप्ति की गयी आउटबोर्ड मोटर्स (ओ बी एम) का उपयोग नहीं किया जा सका। सात वर्षों में 50 में से 46 ओ बी एम को 10 घंटों से कम अवधि के लिए उपयोग किया गया। प्रयोक्ता इकाइयों ने मोटरों के कम उपयोग के लिए नावों के साथ समायोजन का अभाव एवं उपलब्ध इलाके में प्रशिक्षण की न होने की गुंजाइश को जिम्मेदार ठहराया।

(पैराग्राफ 3.5)

कैटल पेरीमीटर फैंसिंग पर अनावश्यक व्यय

जेनरल ऑफिसर कमांडिंग (जी ओ सी), मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र ने दिल्ली छावनी में विवाहित अधिकारियों के आवास के चारों ओर कैटल पेरीमीटर फैंसिंग के निर्माण हेतु कार्य को खण्डशः संस्वीकृति प्रदान की, यद्यपि परिसर के चारों तरफ पहले से ही चारदीवारी मौजूद थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹3.42 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.6)

दोषपूर्ण उपकरणों की खरीद की वजह से नुकसान

महानिदेशक सैन्य आसूचना ने 20 फोटो अंकन प्रणालियों की अधिप्राप्ति में संविदा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रत्येक प्रणाली के लिए अलग-अलग निष्पादन बांड और वारंटी बांडों को स्वीकार किया था। ग्यारह प्रणालियाँ 3 से 22 महीने के अंदर निष्क्रिय हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप ₹21.28 करोड़ की हानि हुई। प्रणालियों की सुपुर्दगी तथा वारंटी अवधि के दौरान फर्म के खराब निष्पादन के बावजूद वारंटी बांडों को उनके नकदीकरण के बिना ही समाप्त होने दिया गया।

(पैराग्राफ 3.7)

केन्द्रीय आयुध डिपो आगरा एवं छावनी क्षेत्र देहरादून की पूर्वी सीमा पर सुरक्षा दीवारों के आंशिक निर्माण पर ₹4.46 करोड़ का निष्फल व्यय

स्थल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विफलता के कारण सुरक्षा दीवारों का केवल आंशिक निर्माण ही हो पाया और इससे ₹4.46 करोड़ के निष्फल व्यय के अलावा केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा तथा छावनी क्षेत्र देहरादून की सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ा।

(पैराग्राफ 4.2 एवं 4.4)

कार्य के निष्पादन पर अनुचित व्यय

फस्ट-इन-फस्ट आऊट ऑपरेशन की प्रणाली पर कैंटीलीवर टाइप रैक्स की आवश्यकता के प्रति 2000 रैकस लास्ट-इन-फस्ट-आऊट आपरेशन प्रणाली के साथ ₹5.88 करोड़ की लागत पर निर्माण कराये थे। इस प्रकार ₹5.88 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ। इसके अतिरिक्त, अनुचित विचलन आदेश देकर संविदाकार को ₹1.57 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 4.3)

विद्युत प्रभारों के लिए ₹32.13 करोड़ का अधिक भुगतान

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एम एस ई डी सी एल) ने अगस्त 2012 में लोक सेवांए प्रदान करने वाले उपभोक्ताओं, जिनमें रक्षा स्थापनाएं भी सम्मिलित थीं, के लिए एक नयी शुल्क-दर लागू की। एम एस ई डी सी एल ने इसके अतिरिक्त, लोक सेवाओं की श्रेणी में आने वाली सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं एवं अस्पतालों तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं के लिए जून 2015 में एक अलग शुल्क-दर लागू की। तथापि, सात दुर्ग अभियंता, जिन्हें रक्षा शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं को आपूर्ति करने हेतु एम एस ई डी सी एल से थोक में विद्युत की प्राप्ति हुई, एम एस इ डी सी एल को भुगतान करने से पूर्व लगाई गई शुल्क-दर की परिशुद्धता की जाँच करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹32.13 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 4.5)

परिसंपत्तियों का उपयोग न होना

मुख्य अभियंता,बरेली द्वारा ड्राइंग्स में बाइपास सड़क का स्पष्ट प्रावधान करने और संविदा में पूर्ण कार्य क्षेत्र को शामिल करने में विफल होने के परिणामस्वरूप सड़क निर्माण कार्य पूरा नही हो पाया था। परिणामस्वरूप, ₹7.65 करोड़ की लागत पर मई 2014 में निर्मित विस्फोटक डम्प का उपयोग नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 4.6)

परिहार्य अतिरिक्त व्यय

वैधता अवधि के अंदर निविदाओं को स्वीकार करने में महानिदेशक, सीमा सड़क की विफलता तथा निविदा प्रलेखों की अपर्याप्तताओं के परिणामस्वरूप पुनः निविदाएं आमंत्रित करनी पड़ीं तथा ₹6.47 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

एक एकीकृत ऐरोस्टेट निगरानी प्रणाली का विकास

ऐरोस्टेट निगरानी प्रणाली के विकास के लिए एक परियोजना के अंतर्गत डी आर डी ओ की प्रयोगशाला द्वारा ₹6.20 करोड़ की लागत पर एक गुब्बारे का आयात तर्कसंगत नहीं है । इसके अलावा, ₹49.50 करोड़ व्यय करने के बावजूद परियोजना अपने उद्देश्य को प्राप्त नही कर सकी।

(पैराग्राफ 6.1)

परियोजना के समापन के बाद वाहन परीक्षण ग्राउंड के निर्माण के लिए अनियमित संस्वीकृति और ₹5.20 करोड़ का व्यय

महानिदेशक, अनुसंधान एवं विकास ने 2.5 टन 'बी' वाहन पर विकसित किए जा रहे मानव-रहित ग्राउंड वाहन (यू जी वी) के परीक्षण की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति हेतु वाहन अनुसंधान एंव विकास स्थापना (वी आर डी ई) के मार्च 2005 के प्रस्ताव के आधार पर अप्रैल 2009 में ₹5.20 करोड़ की लागत पर वी आर डी ई, अहमदनगर में वाहन परीक्षण ग्राउंड के निर्माण के लिए संस्वीकृति प्रदान की। तथापि, यू जी वी परियोजना तब तक बंद हो चुकी थी। इसलिए, उसपर किया गया व्यय निष्फल हो गया है, क्योंकि परीक्षण ग्राउंड का लाभकर उपभोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेना की आवश्यकता 50 कि.ग्रा. यू जी वी की है, जिसके लिए वी आर डी ई का वर्तमान परीक्षण ट्रैक पर्याप्त होगा।

(पैराग्राफ 6.2)

₹19.53 करोड़ का निष्फल व्यय

सेना की माँग के अनुसार 1200 मी. और 1500 मी. की दूरी में मिसाइल को प्रदर्शित करने के लिए युद्ध वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना (सी वी आर डी ई), आवाड़ी ने 20 एल ए एच ए टी मिसाइलों की अधिप्राप्ति की। मिसाइल की स्थिरता से संबंधित तकनीकी कमियों के कारण विदेशी आपूर्तिकर्ता के प्रतिबंध के बावजूद यह अधिप्राप्ति की गई थी। प्रदर्शन परीक्षणों के दौरान 1200 मी. से 1500 मी. के निर्धारित मानक/दूरी प्राप्त करने में मिसाइलें विफल रहीं। सेना ने उस मिसाइल को लेने से इंकार किया। इस प्रकार, आपूर्तिकर्ता को किया गया ₹19.53 करोड़ का भुगतान निष्फल हुआ।

(पैराग्राफ 6.3)

आयुध फैक्ट्री संगठन

आयुध फैक्ट्री बोर्ड का कार्यनिष्पादन

आयुध फैक्ट्रियाँ: पाँच प्रचालन समूहों में विभक्त कुल 41 फैक्ट्रियाँ कार्यरत हैं जो रक्षा सेवाओं के लिए हर प्रकार के शस्त्र, गोलाबारूद, हथियार, शस्त्रसज्जित एवं पैदल युद्धक वाहन तथा पैराशूट सहित वस्त्र मदों का उत्पादन करती हैं। वे आयुध फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत कार्य करती हैं।

अपने राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय को क्रमश: पूरा करने के लिए 2015-16 में बोर्ड ने ₹14,750 करोड़ और ₹687 करोड़ का बजट अनुदान प्राप्त किया। पिछले पाँच वर्षों के दौरान दोनों राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में बढ़ोत्तरी का रुझान देखने को मिलता है।

2015-16 के दौरान क्रमश: 57 प्रतिशत, 11 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 30 प्रतिशत पर भंडारों, श्रम, प्रत्यक्ष खर्चों और उपरिव्यय लागतों के अंश के साथ बोर्ड पर उत्पादन लागत ₹18,294 करोड़ था। 2014-15 की अपेक्षा उत्पादन लागत ने 11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिखाई। 2011-16 की अवधि के दौरान, प्रतिवर्ष औसत उपरिव्यय प्रभार ₹4674 करोड़ था जो आयुध फैक्ट्री संगठन के औसत वार्षिक उत्पादन लागत (₹16,462 करोड़) का लगभग 28 प्रतिशत था। 2011-12 से 2015-16 के दौरान कुल उपरिव्यय लागत का 60 से 70 प्रतिशत भाग पर्यवेक्षण प्रभार तथा अप्रत्यक्ष श्रम लागत का था, जो उपरिव्यय के प्रमुख अवयव हैं।

निर्गम का मूल्य 2014-15 के ₹16,664 करोड़ से 12 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में ₹18,624 करोड़ हो गया। 2015-16 के दौरान कुल निर्गम के 80 प्रतिशत के साथ आयुध फैक्ट्रियों के उत्पादों का प्रमुख मांगकर्ता थल सेना है। 2014-15 के ₹161 करोड़ के आधिक्य के प्रति 2015-16 में थलसेना को निर्गम में ₹128 करोड़ की हानि हुई। यद्यपि, 2015-16 में कुल रक्षा निर्गम में 91 करोड़ रूपये की हानि दर्ज की गई, उनके निर्गम में हुई हानि आई॰एफ़॰डी॰ फैक्ट्रियों के आधिक्य से समायोजित हो गई (₹227 करोड़) जिसके परिणामस्वरूप 2015-16 में ₹167 करोड़ का सम्पूर्ण लाभ हुआ।

(पैराग्राफ 7.1)

आयुध फैक्टरियों में आयात अनुबंध का प्रबंधन

आयुध फैक्टरियाँ संयंत्र एवं मशीनरियों के एवं उसके भंडारों के अत्यंत महत्वपूर्ण भागों का आयात करती है। 2012-15 के दौरान पाँच फैक्टरियों द्वारा सम्पन्न किए गए चयनित आयात अनुबंधों के लेखापरीक्षा परीक्षण ने यह उजागर किया कि अनुबंध से पूर्व के साथ- साथ अनुबंध के पश्चात के चरणों में अनुबंधों के प्रबंधन में कमियाँ थीं।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि परक्रामण एवं पूर्वापेक्षित समय-सारणी के भीतर प्रस्तावित 28 परीक्षण जांच किए गए आपूर्ति आदेशों में से केवल 2 आपूर्ति आदेशों का अनुमोदन लेने में असंगत समय लिया गया था। परक्रामण एवं अनुमोदन में लिए गए समय में ह्रास के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा निर्देशित कालीजिएट समिति के गठन के लिए प्रावधान को अधिप्राप्ति नियम पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त दो आदेशों में लागत अनुमान के साथ 'निर्णीत हर्जाने' के अनुबंध से संबन्धित उसे समावेशित न करने के कारण फैक्टरियों को आपूर्तिकर्ताओं से भंडारों के सही समय में सुपुर्दगी प्रचलित न कर पाने पर उन्हें कमजोर प्रतिपादित किया गया।

2 से 17 महीनों तक किए गए आपूर्ति में भी विलंब हुआ: आठ मामलों में फैक्टरियों द्वारा एल॰सी॰ को खोलने/ प्रेषण पूर्व निरीक्षण (पी॰डी॰आई॰) को सम्पन्न करने में विलंब हुआ तथा बचे हुये मामलों में आपूर्तिकर्ताओं के कारण हुआ। हमने दोनों सात से दस महीनों तक निपटान के लिए बचे हुये ₹2.24 करोड़ की कीमत के गुणवत्ता दावे के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उसी के अनुवर्ती विश्लेषण और फैक्टरियों द्वारा गुणवत्ता दावे के संदर्भ में हुये विलंब के घटनाओं को देखा। ओ॰एफ़॰बी॰ गुणवत्ता दावे के लिए विलंब के साथ- साथ विलंबित आपूर्ति के लिए एल॰डी॰ के एक प्रावधान को सम्मिलित कर विचार- विमर्श कर सकता है।

(पैराग्राफ 7.2)

सी॰एन॰सी॰ मशीनों के चलन के बाद श्रम अनुमानों में संशोधन न करना एवं उजरती कार्य लाभ का गलत भुगतान

आयुध फैक्टरियों को कम्प्यूटर नियंत्रित संख्यानुसार (सी॰एन॰सी॰) मशीनों के समावेशन के पश्चात श्रम अनुमानों को संशोधित करने की आवश्यकता है। उत्पादन के प्रत्येक मद के लिए अनुमान इकाई श्रम लागत को परिमाणित करता है एवं श्रम नियोजन, परिनियोजन और लागतों पर नियंत्रण के लिए एक नमूने के रूप में कार्य करता है। परंतु परीक्षित किए गए दो-तिहाई प्रतिदर्श मामलों में चयनित चार फैक्टरियों ने श्रम अनुमानों का संशोधन नहीं किया था।

बोर्ड द्वारा दिये गए प्रतिमानों के व्यतिक्रम में दो फैक्टरियों ने 2013-14 और 2014-15 में उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक श्रम घंटों (एस॰एम॰एच) का अतिरिक्त आंकलन किया। सभी चार फैक्टरियों ने 2012-15 के दौरान अनुचित प्रतिमानों का प्रयोग करते हुये 10 में से आठ मामलों में उपलब्ध एस॰एम॰एच॰ को कम आंका। लक्षित एस॰एम॰एच॰ और उपलब्ध एस॰एम॰एच॰ के अविश्वसनीय होने पर फैक्टरियों में श्रम नियोजन उस हद तक त्रुटिपूर्ण था। एम॰एस॰एफ़, इशापुर में 102 में से 99 मामलों में तीन उत्पादन कारखानों में वास्तविक परिणामी एस॰एम॰एच॰ प्रतिवेदित किए गए से कम था। परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारियों को समुदित 2.60

करोड़ रूपये के उजरती कार्य लाभ (पी॰डबल्यू॰पी) को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त सभी चार फैक्टरियों में अप्रत्यक्ष कर्मचारियों को (पी॰डबल्यू॰पी॰ के लिए अनुपयुक्त) दिये गए पी॰डबल्यू॰पी॰ के भुगतानों पर भी ध्यान दिया गया।

वाहयश्रोतिकरण के बावजूद भी अनुमानों के आधार पर अंतर्वर्ती आई॰ई॰ को भुगतान किए गए जिसमें से वाहयश्रोतिकृत तत्व को (एस॰एम॰एच॰ के रूप में) व्यकलित नहीं किया गया था। इसके कारण 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रतिदर्श मदों के लिए दो फैक्टरियों में आई॰ई॰ को ₹10.94 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

(पैराग्राफ 7.3)

निर्माण अधिपत्रों का प्रबंधन

निर्माण अधिपत्र फैक्ट्री को दिये गए कार्य के उत्तरदायित्व के श्रम के परिनियोजन के लिए उत्पादन कारखाने के आयुध फैक्ट्री प्रबंधन का प्राधिकार है। यह अनुमान पर आधारित आदेशित परिमाणों के निर्माण के लिए आवश्यक प्राधिकृत मानक श्रम घंटों (एस॰एम॰एच) के संख्या को अभिलेखित करता है।

अपने मुद्दे के अनुबंधित छह: महीनों से अधिक अनावश्यक लंबे अवधि के लिए अधिपत्रों को खुला रखने पर अनाधिकृत समायोजन को अनुमति देने का पूरा खतरा रहता है। चार प्रतिदर्श फैक्टरियों में 2012-13 और 2014-15 के दौरान जारी एवं लेखा परीक्षा में 693 प्रतिदर्शित अधिपत्रों में से केवल 189 (27 प्रतिशत) को छह: महीनों की अवधि में बंद किया गया था। जबकि अनुबंधित अवधि के पश्चात बचे हुये 403 (80 प्रतिशत) अधिपत्रों को बंद किया गया था, वहीं 101 अधिपत्र (15 प्रतिशत) अभी भी खुले हुये थे तथा समापन की प्रतीक्षा (मार्च 2015) कर रहे थे। खुले अधिपत्र फैक्टरियों को स्थानांतरण वाउचरों के द्वारा अन्य अधिपत्रों के लिए अतिरिक्त श्रम को लेना या अतिरिक्त सामग्री का स्थानांतरण या अधिपत्रों के लिए अस्वीकृतियों के फैलाव (साधारण अस्वीकृत सीमाओं के भीतर रखने के लिए) के लिए अवसर प्रदान करते हैं। आवश्यक आंतरिक नियंत्रणों का अनुगमन न करते हुये फैक्टरियों में स्थानांतरण वाउचरों का प्रयोग किया जा रहा था।

(पैराग्राफ 7.4)

दोषयुक्त रेडिएटर्स की अधिप्राप्ति

भारी वाहन फैक्ट्री (एच यू वी) अवाडी ने, टी-90 में संयोजित होने वाले टैंकों के रेडिएटर्स के लिए एक ऐसी फर्म को आदेश प्रस्तुत किया जिसे आवश्यक रेडिएटर्स के निर्माण का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। फैक्ट्री ने, ₹2.78 करोड़ मूल्य के रेडिएटर, जो कि निर्धारित तकनीकी आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे, को स्वीकृत कर लिया जिसके

कारण टी-90 टैंक, जिनमें ये रेडिएटर संयोजित थे, थलसेना द्वारा अस्वीकृत कर दिये गए।

(पैराग्राफ 7.5)

अपूर्ण अन्वेषण में विलंब के कारण खाली फ्यूज़ ए-670 एम के अस्वीकृति के लिए ₹31.32 करोड़ की परिहार्य हानि

2008-09 से दो फैक्ट्रियों में खाली फ्यूज़ ए-670 एम के उत्पादन में बारंबार असफलता के बावजूद भी ओ॰एफ़॰बोर्ड ने अप्रैल 2014 में ही संयुक्त दल का गठन किया जो जुलाई 2016 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता था। इस दौरान उत्पादन जारी रहा और जुलाई 2016 तक दो फैक्ट्रियों में ₹31.32 करोड़ मूल्य के खाली फ्यूज़ ए-670 एम अस्वीकृत रूप में पड़े रहे।

(पैराग्राफ 7.6)

पूर्ववर्ती अस्वीकृति के यथार्थ कारणों को निरूपित करने में विफलता के कारण परिहार्य अस्वीकरण

अस्वीकृति के यथार्थ कारणों के सही पहचान में आयुध निर्माणियां एवं गुणवत्ता गारन्टी अधिष्ठान की विफलता के परिणामस्वरूप 2013-16 के दौरान ₹10.02 करोड़ मूल्य के अनेको 105 एम.एम.एच.ई. उपकरण का लगातार अस्वीकरण।

(पैराग्राफ 7.7)

महंगी मशीनों की परिहार्य अधिप्राप्ति

लक्ष्यों को प्राप्त करने के वर्तमान क्षमता के बावजूद राइफल फैक्ट्री इशापुर द्वारा 9.32 करोड़ रूपये के कुल लागत के दो सामग्री से लैस किए हुये सी॰एन॰सी॰ मशीनों की खरीददारी की गई। विशेष उद्देश्य उपकरण की प्राप्ति के लिए (अप्रैल 2016 तक) जुलाई 2014 से एक सामग्री से लैस मशीन क्रियान्वित नहीं रही और दो अव्यवों के उत्पादन में लगे हुये अन्य मशीन के उपयोग का पूर्वक्षण काफी कम दर पर व्यवसाय से इन अव्यवों के अधिप्राप्ति के संबंध में भी निराशाजनक है।

(पैराग्राफ 7.8)

टैंक टी - 72 के बी.एल.टी. रूपांतर के उत्पादन में विलंब

मांगपत्र के अनुसार, 2012-17 के दौरान चरणबद्ध रूप में एच.वी.एफ. आवडी से टी-72 ब्रिज लेंइंग टैंकों (बी.एल.टी.) के रूपांतरों की आपूर्ति पूर्वनिर्धारित थी। बुनियादी ढाँचे की परियोजना की पूर्णता में देरी एवं टी-72 बी.एल.टी. की मुहरबंद डिजाइन में बार-बार किए जाने वाले परिवर्तनों के कारण एच.वी.एफ., टी-72 बी.एल.टी. रूपांतरों का उत्पादन अब तक शुरू नहीं कर सका एवं इसलिए कवचित रेजीमेंटों के प्रगामी टैंक स्तंभ इस सीमा तक अपूर्ण रहे।

(पैराग्राफ 7.9)